

12 hrs.

RE: DROUGHT AND SCARCITY
CONDITIONS IN BIHAR

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamand Harbour): Sir, we gave notice of an Adjournment Motion, and I want to say a few words about it. (Interruptions)

MR. SPEAKER: This cannot be done every day; no arguments please. I am not allowing it.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप तो शोर करने से कोई काम हाँसा होना करने जायें ।

I am not going to make it a daily practice. Nothing without my permission.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not make this so common every day. I allow you call attention motion; one or two 377. There are a number of occasions on which to express yourself. What is this? Do not do it every day. It wastes a lot of time of the House unnecessarily.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Why do they do like this every day? I cannot understand it. I will be sending your motion to the Minister to make a statement on it. because we have already discussed it in the last week and I shall see if there is anything new which I could find in it.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: One minute each.

SHRI A. K. M. ISHAQUE (Basirhat): It is a bad precedent, Sir.

MR. SPEAKER: I tell you that I am not going to do it after this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Five of us from the opposition parties travelled 150 miles by road from Mughalsarai up to Gaya. On both sides of the G. T. Road, the whole area is barren and dry. We found that a ration shop where 400 cards were registered had only 1 bag of rice.

They had drought last year. They have drought this year. While the rainfall is 350 mm, so far this year it has not exceeded 78mm for the three districts of Saharsa, Aurangabad and Gaya. Out of a total population of 20 lakhs of people, 15 lakhs are landless labour and marginal farmers and small farmers, who are starving. 14 starvation deaths have taken place, 12 in Amao Panchayat in Bhaothua and 2 in Parachitti in Gaya district. It is a shame on the country before the whole world. We want food to be rushed to these areas.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Only two days back, a non-official delegation of MPs visited some of these drought affected areas. They have found the conditions extremely disturbing. Today we read in the newspapers that the Minister of Food and Agriculture visited Bihar and told the Bihar people, "Food for yourself!" That is a very callous kind of response to the extremely disturbing situation that prevails in Bihar. Should we not feel disturbed? There is a complete collapse of the public distribution system. Food is not available. Therefore, we think there is an urgent need for discussing this subject.

श्री कमल मिश्र मधुकर (केमरिया) : अध्यक्ष, महोदय, हम लोग बिहार के तीन जिलों में घूमें हैं, बड़ी गम्भीर स्थिति है। वहाँ पर केवल वर्षा ही नहीं हुई है, बल्कि बिहार सरकार ने जिस तरह से गल्ले की वसूली होनी चाहिये थी, उस तरह से नहीं की है। बड़े-बड़े जमींदारों की मदद की है, उन से गल्ला वसूल नहीं किया है। उपर से मंत्री महोदय कहते हैं कि बिहार के लोग अपना इन्तजाम खुद करें। यह केन्द्र की जिम्मेदारी है, केन्द्र इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस लिये हमारी मांग है कि बिहार सरकार ने गल्ले की जो मांग की है कम से कम दो लाख टन गल्ला हर महीने बिहार भेजा जाये तब बिहार के 50 लाख आदमी जिन्दा रह सकते हैं। इतना ही नहीं उन को पैसा मिलना चाहिये, वॉरिंग तथा इरिगेशन की दूसरी सुविधाएँ दी जायें, क्योंकि आज उन लोगों के पास पैसा नहीं है।

[श्री कमल मिश्र मधुकर]

तीसरी बात यह है कि जिन इलाकों में पानी न बरसने की वजह से धान नहीं हुआ है वहाँ पर धान पहुँचाया जाये ताकि जब बरसात हो तो रोपाई हो सके।

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : अध्यक्ष महोदय, इस समय बिहार में लगातार अनांवृष्टि के कारण, सूखे के कारण स्थिति इतनी भयंकर हो गयी है कि अब लोग रास्ते में चलने में मजबूर हो गये हैं। हम लोग माननीय ज्योतिर्मय बसु के नेतृत्व में दौरे पर गये थे, हम ने देखा कि लोग पत्ते और जड़े खा रहे हैं। खजूर के पेड़ और पत्तों को काट कर खा रहे हैं और पोखा, जो कि पीपल के पेड़ का फल होता है, उस को खा कर बीमार पड़ रहे हैं। आज न वहाँ पानी है, न बिजली है और न मिर्चाई की कोई व्यवस्था है : 25 लाख लोगों का जीवन संकट में है जिन में मेरठवाड़ी लोग भूख में मर गये हैं। मेरे पास नाम है तीन लोगों के जो भूख में मर गये हैं। काहूदाग के मुखिया, श्री जगन दाम ने मुझे लिख कर दिया है, 5-7-73 को नारा नट्टी में खबर करते हैं कि नेतर यादव की पत्नी की 29-6-73 को मृत्यु हो गयी भूख में। बाढ़ो दुनाद, ग्राम जालर, पंचायत मौजुआर, प्रखण्ड मांहा-पुर, की भूख में मृत्यु हो गयी। तीसरा नाम : ग्राम तुलसीडीह, पंचायत केवला की सोमरी मुख्याधिन पिता राम लाल दुमाप, उम्र 25 वर्ष की भूख से मृत्यु हो गयी। इस प्रकार एक एक घर में तीन-तीन आदमी भूख में मरे हैं। मांहापुर ब्लॉक का एक क्लर्क रास्ते में कह रहा था कि एक औरत अपने बच्चे को इसलिए मार रही थी कि लड़का भूख से रो रहा था और खाना मांग रहा था। औरत कह रही थी कि तू ही भूखा नहीं है, मैं भी भूखी हूँ और चार दिन के बाद वह भूख से मर जाती है। इस प्रकार हमारे यहाँ पचासों लोग भूख में मरे हैं। सरकार को इस विकट स्थिति की तरफ तत्काल ध्यान देना चाहिए। सरकार के खाद्य मंत्री ने

स्वीकार किया है कि स्थिति बहुत भयंकर है। वहाँ पर लाल कार्ड की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। संविद सरकार के जमाने में हम ने एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया था। लेकिन आज जब कि प्रान्त और केन्द्र में एक की सत्ता सरकार का शासन है, और सरकार दम भरती है कि हम एक को भी भूख से नहीं मरने देंगे, फिर भी लोग भूख में क्यों मर रहे हैं। सरकार को इस इलाके में तत्काल अन्न भोजना चाहिए।

श्री मधु लिनये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर, संधाल परगना, मुंगेर का जमुई अनुमण्डल और गया में विगत साल में अकाल पड़ा था। 31 दिसम्बर, 1972 को मारा राहत का काम बन्द कर दिया गया। उस के बाद इस साल भी भयंकर अकाल आया। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम काम नहीं कर रही है। यह तो खुद फाड मिनिस्टर ने कह दिया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर काम रोकने पर आप बहम नहीं चाहते हैं तो कम से कम हम को नियम 193 के तहत राहत का काम और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में कस करने का मौका दिया जायें।

अध्यक्ष महोदय : जब लिखते हफ्ते में बहम हुई तो उस में काफी कहा गया।

श्री मधु लिनये : वह तो काल अटेंशन था। और उस के बाद माननीय खाद्य मंत्री श्री फखरुद्दीन ने कहा था कि मैं दौरा करूँगा। उन्होंने दौरा किया। हमारे पार्लियामेंट के सदस्यों ने भी दौरा किया और स्थिति का जायजा किया। उस पर बहम होनी चाहिए।

SHRI P. K. DEO (Katohandi): The M.P.s. belonging to various parties visited the areas where there have been starvation deaths. They were the eye-witnesses. So far as Orissa is concerned, during the discussion on Orissa Budget, every speaker spoke about starvation deaths in that part of the country. But all the starvation deaths are being denied by the Government. There is a specific provision for

the adjournment motion to discuss a matter of urgent public importance. If a matter of starvation deaths is not a matter of urgent public importance, what else can it be? There could not be a more appropriate occasion to censure the Government.

So, I request you, on behalf of my party, to reconsider it and to permit an adjournment motion so that there could be a threadbare discussion on this subject. Our submission for a minute or two is not going to solve the problem.

SHRI DINESH SINGH (Pratapgarh): There should not be an impression created in the House that we on this side are not concerned about food situation or drought situation. We are equally concerned about it. We have also been to some of these areas. I have myself been to my constituency and to some other areas which are drought-stricken areas. I think, this is a matter that we should consider not in an adjournment motion form but in some other form where we can all express our views and adopt a constructive attitude. I would, therefore, suggest that we should not take it as an adjournment motion but we might consider discussing it in some other form.

अध्यक्ष महोदय : ज्यों ज्यों मैं किनी बात के लिये मना करता हूँ त्यों त्यों आप जोर लगाते हैं कि नहीं यह बात होनी चाहिये। लो मैं अब देने लग रहा हूँ इजाजत तो आप कहते हैं कि नहीं। कल भी मैं ने आप की मदद की।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : आप की मदद हम समझते हैं, मगर आप कहा मत कीजियें। यह तो मामला उठाने का एक तरीका है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मामला उठाने का तारीका समझ कर आप को इजाजत दी, और जो भी तकरार करने हैं कहते हैं कि आ एडजॉनमेंट मोशन की इजाजत नहीं दे रहे हैं। और जब मैं दे रहा हूँ तो आप मानते नहीं हैं। अब आप ही बता दीजिये कि दूँ कि नहीं दूँ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपाल गंज) : अध्यक्ष जी, माननीय दिनेश सिंह जी ने जो मुझाव दिया है उस को मान लिया जाये।

श्री इसहाक सन्मली (अमरोहा) : स्पीकर साहब, जिस तरह की हालत बिहार के बारे में बतायी गयी, वह तो यकीनन शर्मनाक है ही, लेकिन मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में आप अगर जा कर देखें कि जो हालत वहाँ है वह किसी भी हालत में कम नहीं है। बलिया गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बनारस वे जगहे हैं जो सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं। आज वहाँ पर यह हालत हो गई है कि सूखे से और बाढ़ से लोगों को खाने पीने का समान नहीं मिल रहा है। मैं आप से कहता हूँ कि मेरी कांस्टीच्युएँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। इस वक़्त गंगा की बाढ़ में डूबी हुई पड़ी है। वहाँ के लोगों के वास्ते खाने के लिए कुछ नहीं है। पीने तक के लिए पानी नहीं है। इसके बारे में जैमा दिनेश सिंह जी ने कहा है और मैं उसमें इतिहास करता हूँ कि अगर एडजॉनमेंट मोशन नहीं तो किसी भाँ फार्म में आप मीका दें ताकि बहस हो सके। बिहार में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ ने और कहीं सूखे ने आकन मचा रखी है। इन पर पूरी बहस का आप मीका दें। इंसानों का ज़िन्दगियों को बचाने का यह सवाल है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : खाद्यान्नों के वास्ते हाहाकार मचा हुआ है, इसके बारे में कोई दो राये नहीं हैं। सरकार की वितरण की नीति और गल्ला वसूली की नीति, दोनों ही नीतियाँ नकाम रही हैं। इसकी वजह से यह भुखमरी की हालत है। गल्ला वसूली और वितरण, दोनों ही नीतियों में जो सरकार असफल रही है, नाकाम रही है, उन पर आप पूरी बहस की इजाजत दें। उस में सदन में सभी पक्षों के लोग हिस्सा लेंगे। यह उत्तर प्रदेश, बिहार आदि सभी प्रदेशों का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आज मैं हर इजाजत देने के लिए तैयार हूँ।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): I have written to you a letter for raising the matter about Burdwan University...

MR. SPEAKER: I did not allow it. Papers to be laid.

13.21 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AMENDMENT TO DELIMITATION OF PARLIAMENTARY AND ASSEMBLY CONSTITUENCIES ORDER, 1966

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 267(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 4th May, 1973 making certain amendment in Schedule IX to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1966 in respect of the State of Tamil Nadu, under sub-section (2) of Section 9 of the Representation of the People Act, 1950. [Placed in Library. See No. LT-5243/73].

REPORT ON WORKING OF DEPOSIT INSURANCE CORPORATION, BOMBAY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) on the working of the Deposit Insurance Corporation, Bombay, for the year ended the 31st December, 1972, along with the Audited Accounts, under sub-section (2) of Section 32 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961. [Placed in Library. See No. LT-5244/73].

AMENDMENT TO ORISSA IRRIGATION RULES, 1961

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): I beg to lay on the Table a copy of Orissa

Notification No. S.R.O. 479/73 (Hindi and English versions) published in Orissa Gazette dated the 28th May, 1973 making certain amendment to the Orissa Irrigation Rules, 1961, under sub-section (3) of Section 53 of the Orissa Irrigation Act, 1959, read with Clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 3rd March, 1973 issued by the President in relation to the State of Orissa. [Placed in Library. See No. LT-5245/73].

COMPANIES (CENTRAL GOVT.'S) GENERAL RULES AND FORMS (AMENDMENT) RULES, 1973

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA): I beg to lay on the Table a copy of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules, 1973 (Hindi and English versions), published in Notification No. G.S.R. 667 in Gazette of India dated the 30th June, 1973, under sub-section (3) of Section 642 of the Companies Act, 1956. [Placed in Library. See No. LT-5246/73].

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

TWENTY-FIRST REPORT

SHRI BUTA SINGH (Rupar): I beg to present the Twenty-first Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education)—Admission and other facilities for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Indian Institutes of Technology and Indian Institute of Science, Bangalore.

13.22 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

MAHARASHTRA-MYSORE BORDER DISPUTE

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): With your permission, under Rule 377 I am raising a very important issue.